मनोहर बलवानी
कम्पनी सचिव
MANOHAR BALWANI
Company Secretary

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
POWER FINANCE CORPORATION LTD.
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)

1:05:374:4:एसीक्यू **20 मार्च, 2019**

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड **एक्सचेंज प्लाजा,** **बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू),** **मुंबई-400051**	**बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड,** **कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, फिरोज जीजीभॉय टावर,** **दलाल स्ट्रीट, फोर्ट** **मुंबई- 400001**

विषय: सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011 के विनियम 10(5) के अंतर्गत प्रकटीकरण – विनियम 10(1) (क) के अंतर्गत अर्जन के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज को सूचना

महोदय,

भारत के राष्ट्रपति से पीएफ़सी द्वारा आरईसी लिमिटेड (आरईसी लिमिटेड की शेयर पूंजी का 52.63% दर्शाते हुए) के 103,93,99,343 इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित अर्जन के संबंध में, सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम 2011 के विनियम 10 (5) के अंतर्गत प्रकटीकरण इसके साथ संलग्न हैं।

आपकी जानकारी और रिकॉर्ड हेतु प्रस्तुत।

धन्यवाद,

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव
mb@pfcindia.com

संलग्न- यथोपरि

विनियम 10 (5) के अंतर्गत प्रकटीकरण हेतु प्रारूप- सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011 के विनियम 10(1)(क) के अंतर्गत अर्जन के संबंध स्टॉक एक्सचेंजों को सूचना

1.		लक्ष्य (टार्गेट) कंपनी का नाम (टीसी)	आरईसी लिमिटेड
2.		अर्जनकर्ता (ओं) का नाम	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3.		क्या अर्जनकर्ता(एं) लेन-देन से पहले से ही टीसी का प्रोमोटर है/हैं। यदि नहीं तो टीसी या इसके प्रोमोटरों के साथ संबंध की प्रकृति	अर्जनकर्ता सरकारी कंपनी है और विक्रेता सरकार (विद्युत मंत्रालय के माध्यम से कार्य कर रहे भारत के राष्ट्रपति) है। विक्रेता अर्जनकर्ता के शेयरों का 61.02% और टीसी (जो कि एक सरकारी कंपनी भी है) के शेयरों का 52.63% धारणकर्ता है। टीसी और अर्जनकर्ता कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के प्रावधानों के अंतर्गत सरकारी कंपनियां हैं तथा लेन-देन के बाद भी बनी रहेंगी।
4		प्रस्तावित अर्जन की तारीख	
	क	व्यक्ति (यों) का नाम जिनसे शेयरों का अर्जन किया जाएगा।	भारत के राष्ट्रपति
	ख	अर्जन की प्रस्तावित तारीख	31 मार्च, 2019 या उससे पहले
	ग	उपर्युक्त 4(क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति से अर्जित किए जाने वाले शेयरों की संख्या	103,93,99,343 इक्विटी शेयर
	घ	टीसी शेयर की पूंजी के % के रूप में अर्जित किए जाने वाले कुल शेयर	52.63%
	ड़	वह कीमत जिस पर शेयरों का अर्जन किया जाना प्रस्तावित है	139.5036 रुपए प्रति शेयर 14499,99,50,186 रुपए का कुल प्रतिफल (कंसिडरेशन)
	च	प्रस्तावित अंतरण का औचित्य, यदि कोई हो	आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने दिनांक 06 दिसंबर 2018 को आयोजित अपनी बैठक में रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी) में भारत सरकार की कुल प्रदत्त इक्विटी शेयरधारिता की वर्तमान 52.63% हिस्सेदारी को प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफ़सी) को कार्यनीतिक बिक्री के लिए निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को अपनी 'सैद्धांतिक' मंजूरी प्रदान कर दी है। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति के निर्णय के अनुक्रम में, पीएफ़सी के निदेशक मंडल एवं शेयरधारक, सेबी, आरबीआई और सीसीआई से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त किए गए थे। इस निर्णय से दोनों संस्थाओं के बीच ऋण प्रक्रियाओं एवं नीतियों में बेहतर दक्षता आएगी और विद्युत क्षेत्र के लिए बेहतर ऋण

			उत्पाद प्रदान करने में सार्वजनिक रूप से मूल्य संवर्धन होगा। दो संस्थानों के बीच एक ही प्रबंधन होने से उत्पादन, पारेषण, नवीकरणीय एवं वितरण उप-क्षेत्रों सहित ग्रामीण एवं शहरी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट संस्थागत विशेषज्ञता से बेहतर विकास होगा। संयुक्त समूह एंटिटियों के रूप में एंटिटियों के बीच हुए अभिसरण से आरईसी लिमिटेड की विकेंद्रीकृत पहुँच और पीएफसी की प्रोफेशनल परियोजना वित्त विशेषज्ञता से विद्युत क्षेत्र को काफी लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, समूह की परिसंपत्तियों का आगामी विविधिकरण और पोर्टफोलियो जोखिम, इन संस्थानों को बेहतर एवं समन्वयक रीति से स्ट्रेस्ड विद्युत क्षेत्र परिसंपत्तियों के समाधान का प्रबंध करने में मदद करेगी।
5.		विनियम 10(1)(क) का संगत विनियम जिसके अंतर्गत अर्जनकर्ता को ओपन ऑफर करने से छूट प्राप्त है	सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011 का विनियम 10 (1) (क) (iii)
6		यदि, बार-बार ट्रेड किया जाता है, तो स्टॉक एक्सचेंज जहां टीसी के शेयरों में ट्रेडिंग का अधिकतम वॉल्यूम ऐसी अवधि के दौरान दर्ज किया गया हो, में ट्रेड किए अनुसार इस नोटिस के निर्गमन की तारीख से पहले 60 ट्रेडिंग दिनों की अवधि के लिए वॉल्यूम भारित (वेटेड) औसत मार्केट कीमत	127.81 रुपए प्रति शेयर
7		यदि, बार-बार ट्रेड किया जाता है, तो विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ड़) के अनुसार यथानिर्धारित कीमत	लागू नहीं
8		अर्जनकर्ता द्वारा घोषणा कि अर्जन कीमत बिंदु 6 एवं 7 , जो भी लागू हो, में गणना की गई कीमत के 25% से अधिक नहीं होगी	अनुलग्नक क के रूप में संलग्न
9		अर्जनकर्ता द्वारा घोषणा कि अंतरणकर्ता और अंतरिती ने अधिग्रहण विनियम 2011 (निरसित अधिग्रहण विनियम 1997 के प्रावधानों के अनुसार) के अध्याय V में लागू प्रकटीकरण अपेक्षाओं का अनुपालन किया है/का अनुपालन करेंगे	अनुलग्नक क के रूप में संलग्न
10		अर्जनकर्ता द्वारा घोषणा कि छूटों के संबंध में विनियम 10(1)(क) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन किया गया है	अनुलग्नक क के रूप में संलग्न

11	शेयरधारिता संबंधी ब्योरा	प्रस्तावित लेन-देन से पूर्व		प्रस्तावित लेन-देन के पश्चात	
		शेयरों/मताधिकारों की संख्या	टीसी की कुल शेयर पूंजी के संबंध में %	शेयरों/मताधिकारों की संख्या	टीसी की कुल शेयर पूंजी के संबंध में %
क	अर्जनकर्ता (ओं) और पीएसी (यों) (विक्रेता को छोड़कर) (*)	95,904	0.0049%	1,03,94,95,247	52.6349%
ख	विक्रेता (ओं)	103,93,99,343	52.63%	शून्य	शून्य

कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव

मनोहर बलवानी
कम्पनी सचिव
MANOHAR BALWANI
Company Secretary

अनुलग्नक क

जिस किसी से संबंधित हो

हम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी हैं, और हमारा पंजीकृत कार्यालय 'ऊर्जानिधि' 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001 में है, एतदद्वारा घोषणा करते हैं कि :

क) प्रस्तावित लेन-देन के लिए अर्जन कीमत उपर्युक्त प्रकटीकरण, जो भी लागू हो, में निर्धारित बिंदु 6 (जब से बार-बार ट्रेड किया गया हो), के अनुसार की गई गणना की कीमत के 25% से अधिक नहीं होगा।

ख) अंतरणकर्ता (अर्थात भारत के राष्ट्रपति) और अंतरिती (अर्थात पावर फाइनेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ने सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011 के अध्याय V में निर्धारित लागू प्रकटीकरण अपेक्षाओं का अनुपालन किया है (प्रस्तावित अर्जन की तारीख से पूर्व 3 वर्षों के दौरान) और का अनुपालन करेंगे। अंतरणकर्ता/टीसी द्वारा की गई पूर्व फाइलिंग अनुलग्नक-ख के रूप में संलग्न हैं। तथापि, चूंकि अंतरिती द्वारा इस प्रस्तावित अर्जन से पूर्व लक्ष्य कंपनी में केवल 95,904 शेयर (0.0049%) धारित थे, अतएव अधिग्रहण विनियमों के अध्याय V के अंतर्गत प्रस्तावित अर्जन से पूर्व 3 वर्षों के दौरान कोई फाइलिंग की जानी अपेक्षित नहीं थी: और

ग) छूटों के संबंध में अधिग्रहण विनियम के विनियम 10(1)(क) के अंतर्गत निर्दिष्ट सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है या विधिवत अनुपालन किया जाएगा।

भवदीय,

कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

मनोहर बलवानी
(कंपनी सचिव)

संलग्न: ए/ए